प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.08.2024

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मंदिर के दान पात्र से चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से घटना से संबंधित मंदिर के दान पात्र से चोरी किये गये 1170/- रुपये बरामद।

दिनांक 31.07.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 29/30.07.2024 की रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा ग्राम सुराना में स्थापित घुमेश्वर महादेव शिव मन्दिर में रखे दान पात्र व मन्दिर में स्थित माँ मनसा मन्दिर के दान पात्र से रुपये निकालकर चोरी कर लिये गये हैं। उपरोक्त तहरीर पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 31.07/01.08.2024 की रात्रि को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए उक्त घटना को कारित करना वाला 01 शातिर चोर अभियुक्त रोहित उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र जसवन्त सिंह निवासी पिपलैडा शिव मंदिर के पीछे धौलाना जिला हापुड़ को शिव मंदिर रावली के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना से संबंधित मंदिर के दान पात्र से चोरी किये गये 1170/- रुपये बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैं चोरी करने की फिराक में मुरादनगर के आस-पास के पंडालों में घूम रहा था। मैंने दिन के समय ग्राम सुराना स्थित मंदिर में रखे दान पात्रों को देखा। वहां पूजा करने आये लोग उसमें पैसा डाल रहे थे। जिसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया। रात के समय मंदिर में काम करने वाले और गाँव के व्यक्ति चले गये और पुजारी व मंदिर में मौजूद लोग भी सो गये। फिर मैंने मौका पाकर मंदिर के दान पात्रों से पैसे चोरी कर लिए थे। दोनों दान पात्रों में लगभग 1800-1900 रूपये मिले थे। मैने दिन के समय मंदिर में लगे कैमरो व आस पास के रास्तों को देख लिया था। मेरी पहचान न हो जाये इसलिए मैने उस दिन पहनी टी-शर्ट व बनियान को निकाल कर पास ही बह रही नदी में फेक दिया था। चोरी किये पैसों से मैंने एक नयी टी-शर्ट व बनियान खरीद ली तथा कुछ पैसे मैने खाने पीने में खर्च कर दिये। मैं आस पास के पंडालो में रूका था। आज मैं वापस जाने वाला था कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

रोहित उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र जसवन्त सिंह निवासी पिपलैडा शिव मंदिर के पीछे धौलाना जिला हापुड़

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली गाजियाबाद में चोरी के 03 अभियोग, थाना सिहानीगेट पर चोरी का 01 अभियोग व थाना मुरादनगर पर चोरी का 01 अभियोग, कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं।

बरामदगी का विवरण

मंदिर के दान पात्र से चोरी किये गये 1170/- रुपये नगद बरामद

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 05-03-2020 को चिरौडी रोड पर जान से मारने कि नीयत से अभियुक्तों द्वारा हमला करना व धमकी देने की सूचना थाना लोनी पर प्राप्त हुई थी। तत्काल सूचना का संज्ञान लेकर थाना लोनी पुलिस मौके पर पहुँची तथा पीड़ित मुकेश गोयल पुत्र ओमप्रकाश गोयल निवासी ग्राम चिरौडी, थाना लोनी गाजियाबाद की

तहरीरी सूचना के आधार पर थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई। तत्पश्चात दिनांक 08.03.2020 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार उर्फ वी.के पुत्र सच्चेराम उर्फ श्यामलाल निवासी ग्राम गनोली थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

आज दिनांक 01-08-2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र विजेंद्र निवासी गांव गनौली थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि गांव की पूर्व प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर वर्ष 2020 में हमारे साथी विरेन्द्र कुमार उर्फ वीके व मंदीप तथा अंकित ने मोटर साईकिल से मुकेश गोयल की रेकी कर दुकान पर एक पर्ची डाल कर जान से मारने की धमकी दी थी, फिर मैंने व मन्दीप ने चिरौडी बाजार में मुकेश गोयल व जितेन्द्र के ऊपर पूर्व प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर जान से मारने की नीयत से फायर कर भाग गये थे। मेरे साथी मंदीप व अंकित ने पुलिस के डर से मा. न्यायालय में सरेंडर कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

गौरव पुत्र विजेंद्र निवासी गांव गनौली थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 28 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह व मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 27.07.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सूचना प्राप्त हुई कि वादी के चाचा राज नारायण जो रेलवे स्टेशन से अपने घर चिपियाना एन्क्लेव थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर जा रहे तभी ABES अन्डरपास के पास पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया है तथा जिनका इलाज चल रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 01.08.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्तों का पता लगाया गया तथा मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्तों (1) अमित चौधरी पुत्र सतीश चन्द निवासी गांव मोर थाना टप्पल जिला अलीगढ हाल निवासी अभिमन्यु के मकान में किरायेदार करण एन्क्लेव थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 34 वर्ष (2) मोनू उर्फ वैभव पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी गांव ओरन थाना थाना भोगांव मैनपुरी हाल निवासी अनिल चौधरी के मकान में किराये पर गांव महरौली थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को ओम विहार कॉलोनी के पीछे से मय घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल .32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त अमित चौधरी द्वारा बताया गया कि राजनारायण यादव (घायल) के द्वारा प्लॉट खरीदे जाते थे, जिनका निर्माण का कार्य मेरे माध्यम से किया जाता था, जिसमें मुझे काफी मुनाफा हो जाता था। पिछले कुछ समय से राज नारायण द्वारा मेरी लेवर व ठेकेदार को तोड़कर उनसे स्वयं निर्माण कार्य कराया जाने लगा, जिसमें मुझे शामिल नहीं किया जाता था, जिससे मेरा मोटा नुकसान हो रहा था। इसी बात को लेकर

मेरे मन में राजनारायण के प्रति द्वेष भावना आ गयी। मेरे द्वारा उसकी हत्या की योजना अपने साथी मोनू उर्फ वैभव के साथ मिलकर बनायी गयी तथा हत्या करने के उद्देश्य से हम लोगों ने कई दिनों तक राज नायारण की रेकी की तथा दिनांक 27.07.2024 को रात्रि में जब वह अपनी ड्यूटी करके रेलवे स्टेशन से मोटरसाइकिल से आ रहा था, तभी हम लोगों ने उसका पीछा कर चिपियाना जाने वाले रास्ते पर ABES अन्डरपास के पास पडी हुई खाली जगह पर उसे जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर कर दिये जिससे वह जमीन पर गिर गया तथा हम दोनों राज नारायण को मरा समझकर वहां से फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

(1) अमित चौधरी पुत्र सतीश चन्द निवासी गांव मोर थाना टप्पल जिला अलीगढ हाल निवासी अभिमन्यु के मकान में किरायेदार करण एन्क्लेव थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 34 वर्ष

(2) मोनू उर्फ वैभव पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी गांव ओरन थाना थाना भोगांव मैनपुरी हाल निवासी अनिल चौधरी के मकान में किराये पर गांव महरौली थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण

उपरोक्त घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस .32 बोर व मोटरसाइकिल TVS रेडॉन नं0 UP16DS4808 बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर हत्या के प्रयास के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त मोनू उर्फ वैभव उपरोक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर अपहरण के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम